कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–2/विदेश यात्रा/2017 दिनांक– 29-11-2017

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा
झुंझुनूं

विषय– विदेश यात्रा की अनुमति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमती सुशीला देवी, व्याख्याता–इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर–झुंझुनूं को उनकी पुत्रवधु के प्रसवकाल समय के कारण दिनांक 24.12.2017 से 24.01.2018 तक पोलैण्ड(विदेश)जाने हेतु वीजा बनाने के लिए अनापत्ति एवं 89 दिनों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नियंत्रण अधिकारी श्रीमती सुशीला देवी, व्याख्याता–इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर–झुंझुनूं से निम्न शर्तों का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र प्राप्त कर नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करें–

1. उक्त कार्मिक स्वीकृत अवधि से अधिक अवधि तक विदेश में ठहरेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
2. उक्त कार्मिक नियंत्रण अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश हेतु प्रस्थान करेगा।
3. विदेश से भिजवाये गये त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. अ– नियंत्रण अधिकारी उक्त कार्मिक का विदेश जाने हेतु अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि इनके विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
   ब– उक्त कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं होगा।
   स– उक्त कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्तवपूर्ण दस्तावेजों का हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
   द– कार्मिक विदेश में सेवा नियोजन का कार्य नहीं करेगा तथा उक्त यात्रा का समस्त व्यय कार्मिक स्वयं के स्तर पर वहन करेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:–प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सम्बन्धित उप निदेशक–माध्यमिक शिक्षा
2. संबधित शाला/संस्था/कार्मिक
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर